न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर एवं अति.जिला मजिस्ट्रेट–प्रथम, जयपुर

परिवाद संख्याः 05/2017

सरकार जरिये श्याम सुन्दर शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन जयपुर।

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री दिनेश चन्द पुत्र श्री मनहरलाल महिवाल (विक्रेता एवं डेयरी इंचार्ज)
मैसर्स श्री वृन्दावन डेयरीज,
बी–1, रीको इण्ड0 ऐरिया, बस्सी, एक्स0 बस्सी,
जिला जयपुर।
2. श्री चन्द्रभान जाट (नोमिनी)
मैसर्स श्री वृन्दावन डेयरीज,
बी–1, रीको इण्ड0 ऐरिया, बस्सी, एक्स0 बस्सी,
जिला जयपुर।
3. मैसर्स श्री वृन्दावन डेयरीज
बी–1, रीको इण्ड0 ऐरिया, बस्सी, एक्स0 बस्सी,
जिला जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

... अप्रार्थी–अभियुक्त

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (2)
एफ.एस.एस. एक्ट, 2006 एवं नियम 2011

—

निर्णय दिनांकः 02/11/2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री श्याम सुन्दर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 29.11.2016 को समय सायंकाल 3.00 बजे अपनी टीम के साथ मैसर्स श्री वृन्दावन डेयरीज, बी–1 रीको इण्ड0 ऐरिया, बस्सी, जिला जयपुर पर पहुँचे। वहां पर श्री दिनेश चन्द पुत्र श्री मनहरलाल महिवाल उपस्थित मिले। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पूछने पर श्री दिनेश चन्द ने स्वयं को उक्त संस्थान का विक्रेता एवं मालिक होना बताया। उक्त संस्थान का निरीक्षण करने पर यहाँ आम जनता को विक्रय करने हेतु एक कोल्ड रूम में पाश्च्युराइज्ड होमजिनाइज्ड टोण्ड दूध (अमूल ताजा) (चाय मजा) के 500 एमएल वजन वाले 300 प्लास्टिक के कैरेट्स रखे हुए थ। इनमें गुणवत्ता में कमी/मिसब्राण्ड शक होने पर वास्ते नमूना जांच 4 सील्ड थैलिया पाश्च्युराइज्ड होमजिनाइज्ड टोण्ड दूध (अमूल ताजा) (चाय मजा) खरीद कर उनकी कीमत 72/–रूपये का नकद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री दिनेश कुमार शर्मा एवं श्री दीपक कुमार सिंधी के हस्ताक्षर कराये एवं आवेदक स्वयं खाघ सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रतियॉ एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ कर, सुना कर

व सही मान कर हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति विक्रेता श्री दिनेश चन्द को देकर रसीद प्राप्त की, फार्म संख्या 5 ए एवं फर्द रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के संलग्न है। खरीद शुदा चार पाश्च्युराइज्ड होमजिनाइज्ड टोण्ड दूध (अमूल ताजा) (चाय मजा) पॉलि पैकेटस को चार खाली एवं साफ सूखी कांच की बोतलों में बराबर–बराबर डालकर बोतलों को ऐयरटाईट बन्द किया तथा खाली थैलियों को प्रत्येक बोतल के साथ बान्धा एवं लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकायें और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन जयपुर के कोड एवं क्रमांक **Ac-1266** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन जयपुर की हस्ताक्षशुदा पेपर स्लिप नं. **Ac-1266** नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपका कर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना डिब्बों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पहुँच कर फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो प्रार्थना पत्र के संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन जयपुर को जमा कराकर रसीदे प्राप्त कि है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन जयपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/765 दिनांक 26.12.2016 द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/3487/एक्ट/2016/3490 दिनांक 15.12.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पाश्च्युराइज्ड होमजिनाइज्ड टोण्ड दूध (अमूल ताजा) (चाय मजा) मिसब्राण्ड होना पाया गया। इस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समस्त मूल पत्रावली दिनांक 22.03.2017 को अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की तथा श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

व सही मान कर हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति विक्रेता श्री दिनेश चन्द को देकर रसीद प्राप्त की, फार्म संख्या 5 ए एवं फर्द रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के संलग्न है। खरीद शुदा चार पाश्च्युराइज्ड होमजिनाइज्ड टोण्ड दूध (अमूल ताजा) (चाय मजा) पॉलि पैकेटस को चार खाली एवं साफ सूखी कांच की बोतलों में बराबर–बराबर डालकर बोतलों को ऐयरटाईट बन्द किया तथा खाली थैलियों को प्रत्येक बोतल के साथ बान्धा एवं लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकायें और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन जयपुर के कोड एवं क्रमांक **Ac-1266** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन जयपुर की हस्ताक्षशुदा पेपर स्लिप नं. **Ac-1266** नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपका कर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना डिब्बों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पहुॅच कर फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो प्रार्थना पत्र के संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन जयपुर को जमा कराकर रसीदे प्राप्त कि है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन जयपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/765 दिनांक 26.12.2016 द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/3490/एक्ट/2016/1162 दिनांक 15.12.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पाश्च्युराइज्ड होमजिनाइज्ड टोण्ड दूध (अमूल ताजा) (चाय मजा) मिसब्राण्ड होना पाया गया। इस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समस्त मूल पत्रावली दिनांक 22.03.2017 को अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की तथा श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन जयपुर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2017/112 दिनांक 27.03.2017 के

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) सत्यमेव जयते * जयपुर *

पत्रावली पर प्रार्थी पक्ष एवं अप्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत दलील पर गौर किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थीगणों–अभियुक्तगणों द्वारा मिसब्राण्ड का विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उप धारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। अप्रार्थी पक्ष की ओर से इस सम्बन्ध में ऐसे कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं हुये है, जिससे यह साबित हो कि उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो। अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थीगणों–अभियुक्तगणों पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध कारित होने पर शास्ती राशि रू0 5,000/–(अक्षरे पांच हजार रूपये) लगाई जाती है। अप्रार्थीगण–अभियुक्तगण जुर्माना राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड में 15 दिवस की अवधि में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा राशि जमा करा कर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे। प्रार्थी पक्ष को निर्णय की प्रति पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.11.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डा. मोहन लाल यादव)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति.कलक्टर एवं अति.जिला
मजिस्ट्रेट–प्रथम जयपुर